तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
07.01.2025	वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एकपक्षीय सुना जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आस्य की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थना पत्र में वर्णित वादगत आराजी चक 2 ई छोटी के खाता संख्या 103/82 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 2.1815 हैक्टेयर आराजी के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा रहन बैय न करें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। नोटः– 1. उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251, 251–(क) के प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होगा। 2. सीपीसी आदेश 39 नियम 2 की पालना की जावे। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.02.2025 को पेश हो।	
7.2.25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण से संबंधित मूल वाद खारिज होने की स्थिति में प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः मूल वाद खारिज होने के कारण स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner